

## **कार्यालय वनमंडलाधिकारी, बालोद वनमंडल, बालोद (छ.ग.)**

काष्ठागार परिसर, दल्लीराजहरा रोड, बालोद, फोन नं. 07749-223904 ई.मेल-dfobalod@yahoo.com

चेक लिस्ट क. 37

### **Clearance under FC Act. 1980 : Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA : Remittances to precede 2nd stage clearance**

(भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक 7-1/2004(CAMPA) Meeting 3068 दिनांक 24.02.2010)

कार्यापालन अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 01 रायपुर (छ.ग.) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-930 झलमला-बालोद-कुसुमकसा-मानपुर मार्ग (छ.ग./महाराष्ट्र सीमा) में 2/4 लेन मय पेव्ड शोल्डर मार्ग का चौड़ीकरण/उन्नयनीकरण कार्य प्रस्तावित है। इस हेतु बालोद वनमंडल अंतर्गत परिक्षेत्र बालोद के आर.एफ. कक्ष क्रमांक 99,98,97,92, पी.एफ. 257 रकबा 17.772 हे. , परिक्षेत्र दल्ली के वनक्षेत्र आर.एफ. कक्ष क्रं. 148,170 रकबा 5.935 हे. , परिक्षेत्र डौंडी के वनक्षेत्र आर.एफ. कक्ष क्रं. 163,164 रकबा 1.714 हे. एवं राजस्व वन क्षेत्र दानीटोला खसरा नं. 307 रकबा 1.050 हे. कुल रकबा 26.471 हे. क्षेत्र में वन भूमि/राजस्व वन भूमि का चयन किया गया है।

केन्द्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार अनुमति पश्चात् आवेदक संस्थान से राशि प्राप्त कर कैम्पा फंड में जमा किया जावेगा।

  
( बी. श्रीनिवास राव )

कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग  
राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.1 रायपुर (छ.ग.)

  
( एस. पी. पैकरा )  
वन संरक्षक  
प्रभारी वन मंडलाधिकारी  
बालोद वनमंडल, बालोद